

डिक्री मुकदमा इब्तदाई 3

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर मुकाम रोडाभीम व

इजलास जगदीश आर्य रि.सि.ड.

उजवान

शुभू 510 नत्थन जाति
 8 निवासी नांगल
 सुल्तानपुर हाल आबाद
 न्यारदा खुर्द लहसील
 हण्डौन जिला करौली

बनाम

1. शंकर 510 कीरबल
2. अशोक } फि शंकर
3. राजेश } जाति मीजा
4. राजवीर } निवासी थान
5. राधे }

नांगल सुल्तानपुर लहण्डौन रोडाभीम

6. SBBJ रोडाभीम

बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 29 सन् 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खर्च होए व हाजिरी

सुरेश चंद शर्मा निवा. मिनकानिब गुदई खबर

नब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
 डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा
 से पाबंद किया जाता है कि ग्राम नांगल सुल्तानपुर की
 भूमि खसरा नम्बर 507 रकबा 0.58 है, ख. नं. 520 रकबा
 0.65 है, में वादी के कब्जे काश्त में मजामहत मदाखलत
 नहीं करे तथा वादी को बेदखल नहीं करे तथा वादी को
 बेदखल का कब्जा नहीं करे।

मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय
 वशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

का अर्दा करे।
 मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 7 सन् 2015

को जारी की गई।

मुहर

उप जिला कलक्टर
 दस्तखत डेवभीम (करौली)
 ओहदा

इ	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
म्य अर्जी दाबा			स्टाम्प अर्जी दावा		
म्य वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
म्य वजह सबूत			महन्ताना वकील		
न्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
र्वा गवाहान			फीस कमिशनर		
स कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
तफरिक					

मीजान